


भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 227019

-2-

- द्वितीय पक्ष वाहन चालक से सम्पर्क करने हेतु उसे एक मोबाइल उपलब्ध करायेगा जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवाप्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करें। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
- द्वितीय पक्ष को आवंटित इकाई पर प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने एवं मेडिकल टीमो को निर्धारित स्थल तक ले जाने एवं ले आने की जिम्मेदारी होगी।
- वाहन की छोटी मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- मेडिकल टीम अथवा अन्य किसी को वाहन से किसा प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
- विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
- अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल देवरिया न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान-देवरिया

दिनांक-

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर.....
(प्रथम पक्ष)
Chief Medical Officer
Deoria

गवाह-

1. Deepak Verma. NHMC. D/O

2. Dinath (कर्तव्य)
(UHC)

साब

Attested
29.11.17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹ 50

FIFTY
RUPEES

RS. 50

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 227018

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष- मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया / सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति देवरिया
द्वितीय पक्ष मेसर्स, सौरभ ट्रेडर्स एण्ड देवलस एजेन्सी, राघवपुर रामपुरकारखाना, देवरिया
(सेवा प्रदाता) मालिक का नाम- विरेन्द्र कुमार यादव

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु वाहनो के संचालन के संबंध में आज दिनांक-30.03.2017 को जनपद देवरिया में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक- 01.04.2017 से 31 मार्च, 2018 तक अथवा अगली निविदा होने तक के लिए होगी।

- द्वितीय पक्षकार जिला देवरिया के समस्त विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर "सहयोगात्मक पर्यवेक्षण" हेतु वाहनो को संचालित करने के संबंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा:-
 - सेवा प्रदाता, प्रथम पक्षकार द्वारा अनुमोदित वाहन बोलरो/स्कार्पियो एवं अन्य इसी प्रकार की वाहन प्रत्येक विकास खण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर रूपया-29500/- (रु० उन्तीस हजार पाँच सौ) प्रति वाहन प्रति माह की किराये की दर पर उपलब्ध करायेगा।
 - वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः होनी चाहिए:-
 - वाहन पंजीकृत होना चाहिए।
 - वाहन का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
 - वाहन अनुबंध की तिथि से दो वर्ष के पूर्व तक का ही पंजीबद्ध होना चाहिए, इससे अधिक पुराना न हो।
 - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
 - वाहन में पेट्रोल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
 - दुर्घटना होन पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
 - वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र आदि होना अनिवार्य है।
 - वाहन के संचालन एवं रख-रखाव संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
 - वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 500.00 प्रतिदिन की दर से अर्धदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
 - द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम रु० 45,000.00 की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने पर या अनुबंध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
- कार्यक्रमों के गॉनितरिंग एवं सफल संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सूचनापट, योजना सम्बन्धी प्रचार-प्रसार पोस्टर तथा चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रदर्शित कराया जायेगा।

(Signature)

Attested

(Signature)

29/11/17

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
देवरिया।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक – सी०एम०ओ० देवरिया/एम०एण्ड ई०/2017-18/21775 दिनांक 29 नवम्बर 2017


विषय – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर पर लिये गये टैक्सी परमीट वाहनों से सम्बन्धित सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम० एण्ड ई/ 2017-18/01/ 8551-4 दिनांक 15.11.2017 के क्रम में जनपद देवरिया में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वाहन का विवरण, अनुबन्ध पत्र एवं आदेश की प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा करें।


संलग्नक – उपरोक्तानुसार। (05 पेज)


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देवरिया
तद्दिनांकित्।

पत्रांक – सी०एम०ओ० देवरिया/आर०बी०एस०के०/2017-18/

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
2. महाप्रबन्धक, एम० एण्ड ई०, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०यू०, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, गोरखपुर।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, देवरिया।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देवरिया

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
देवरिया।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक - सी०एम०ओ० देवरिया/एम०एण्ड ई०/2017-18/

दिनांक 29 नवम्बर 2017

विषय - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर पर लिये गये टैक्सी परमीट वाहनों से सम्बन्धित सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम० एण्ड ई०/ 2017-18/ 01/ 8551-4 दिनांक 15.11.2017 के क्रम में जनपद देवरिया में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वाहन का विवरण, अनुबन्ध पत्र एवं आदेश की प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार। (05 पेज)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देवरिया

पत्रांक - सी०एम०ओ० देवरिया/आर०बी०एस०के०/2017-18/21776-80 तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
2. महाप्रबन्धक, एम० एण्ड ई०, एन०एच०एम०, एस०पी०एम०यू०, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, गोरखपुर।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, देवरिया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
देवरिया

Supportive Supervision Vehicle Hiring- Block Wise Information 2017-18						
S.No.	Name Of Division	Name Of District	Name of Block	Vehicle No.	Date Of Hiring	Agreement copy Attached
1	Gorakhpur	Deoria	Salempur	UP 52 Z / 7886	01.04.2017	Yes
2			Bhatpar Rani	UP 52 S/ 0241	01.04.2017	Yes
3			Rampur Karakhana	U.P 52 AC / 3491	01.04.2017	Yes
4			Gauribazar	UP 52 Y / 1499	01.04.2017	Yes
5			Desahi Deoria	JH 10 AE/ 2641	01.04.2017	Yes
6			Bhaluani	UP 52 N / 3004	01.04.2017	Yes
7			Mahen	UP52Z / 7333	01.04.2017	Yes
8			Bhatni	UP 52 X / 8813	01.04.2017	Yes
9			Rudrapur	UP 52F/9657	01.04.2017	Yes
10			Bankata	UP 52 T/ 0582	01.04.2017	Yes
11			Lar	UP 52 P/ 2221	01.04.2017	Yes
12			Baitalpur	UP 53 BD/ 7067	01.04.2017	Yes
13			Majhgawa	UP 52 X / 3234	01.04.2017	Yes
14			Pathardeva	UP 52 U / 2427	01.04.2017	Yes
15			Tarkulwa	Up 52T/3160	01.04.2017	Yes
16			Bhagalpur	UP52 Z / 9091	01.04.2017	Yes

ACMO- RCH


Deoria

Chief Medical Officer


Deoria


Supportive Supervision Vehicle Hiring- District Wise Information 2017-18

S.No.	Name Of District	Name of Agreement Signing officer	Vehicle -1	Date Of Hiring	Vehicle -2	Date Of Hiring	Agreement copy Attached
1	Deoria	Dr. O.P Singh	UP52T/3901	01.04.2017	UP 50X/ 6508	01.04.2017	Yes


29.11.17

ACMO- RCH

 Deoria



Chief Medical Officer

Deoria

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया

पत्रांक:-एन0एच0एम0 / वाहन / 2016-17 / 03


दिनांक- 31.03.2017

01-04

मेसर्स,

सौरभ ट्रेडर्स एण्ड ट्रेवल्स एजेन्सी
राघोपुर, रामपुकारखाना
जनपद देवरिया।

आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक-30.03.2017 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु आपकी एजेन्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद/विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराये वाहनों को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एस0पी0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / 2014-15 / 211 / 10841-75, दिनांक-17.03.2017 के क्रम में अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में अगली निविदा होने तक के लिए पूर्व की भाँति संचालित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।


मुख्य चिकित्साधिकारी
देवरिया
तददिनांकित।

पत्रांक:-एन0एच0एम0 / वाहन / 2016-17 /

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति देवरिया।
3. उप मुख्य चिकित्साधिकारी /नोडल अधिकारी, एन0एच0एम0 देवरिया।
4. समस्त अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र जनपद देवरिया।
5. समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र जनपद देवरिया।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, डी0पी0एम0यू0 देवरिया।
7. जिला लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0, डी0पी0एम0यू0 देवरिया।

मुख्य चिकित्साधिकारी
देवरिया



29-11-17